

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ☐ sdokot-kot-rj@nic.in ☐ 0744.232587

मिसल नम्बर - 2003/00034

12

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. शकरं पुत्र ग्यारस्या

2. लाल्या पुत्र ग्यारस्या

जाति- भील साकिन रंगबाडी कोटा

निर्णय

दिनांक- 30/03/2026

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार ग्राम आन्नदपुरा उर्फ फुटातलाब की खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा सिवायचक आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर के नए खसरा नम्बर 51 रकबा 0.87 है0 बनाये गये। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के खाते 0.01 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 51 रकबा 0.87 है0 में से 0.01 है0 भूमि वाके ग्राम आन्नदपुरा उर्फ फुटातलाब को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 जमाबंदी 2055 से 2058 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 51 रकबा 0.87 है0 भूमि नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है।

हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ☐ sdokot-kot-rj@nic.in ☒ 0744.232587

अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रबंध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा-जोरी करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



5
(गजन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
कोटा

13